FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0066 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 01/05/2024 18:52 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	8
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/01/2021 **Date To (दिनांक तक):** 11/01/2023

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/05/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 01/05/2024 18:52:32 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 10 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SATYAPAL PAREEK

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** GHANSHYAM PAREEK

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1972 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	TIRVENI WATER POINT, TEL FACTORY, BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	TIRVENI WATER POINT, TEL FACTORY, BARAN, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-7878933590

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VISHNUKANT			1. HOME GAURD JAIPUR,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA
2	SARDAR SINGH		पिता:KALYAN SINGH	1. VILLAGE NANGLA DESHWAL,JATOLITHUN,डीग, RAJASTHAN,INDIA
3	PRATAP SINGH		पिता:KALYAN SINGH	1. NANGLA DESHWAL, JATOLITHUN,डीग,RAJASTHAN, INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		9,50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 9,50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज प्राथमिक जांच संख्या 38/2023 विरूद्ध श्री विष्णुकांत, तत्कालीन उप महानिरीक्षक पुलिस एवं अन्य में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जांच अधिकारी नियुक्त किये जाने पर निर्देशानुसार उक्त प्राथमिक जांच की पत्रावली व रिकॉर्ड प्राप्त किया जाकर प्राथमिक जांच व उपलब्ध रिकॉर्ड, परिवादी के प्रार्थना पत्र, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स , ट्रांस्क्रिप्ट्, कॉल डिटेल, विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त अलग-अलग परीक्षण रिपोर्ट्स आदि का अवलोकन एवं विश्लेषण किया गया। उक्त प्राथमिक जांच में परिवादी श्री सत्यपाल पारीक द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज प्रकरण संख्या 381/2021 में मुल्जिम श्री सरदार सिंह से 10 लाख रूपये की रिश्वत की मांग कर 9 लाख 50 हजार रूपये रिश्वत प्राप्त कर प्रकरण में से उसका नाम हटाने के आशय का परिवाद पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर को प्रेषित किया गया था, जिस पर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा परिवाद को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के नाम पृष्ठांकित किये जाने पर दिनांक 11.01.2023 को उक्त परिवाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर में प्राप्त हुआ। परिवादी श्री सत्यपाल पारीक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के बाद दिनांक 16.01.2022 एवं दिनांक 08.09.2023 को भी पुनः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रार्थना पत्र/परिवाद पेश किये गये। तत्पश्चात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में उक्त प्रकरण में प्राथमिक जांच संख्या 38/2023 दिनांक 13.09.2023 दर्ज की जाकर जांच प्रारम्भ की गई। उक्त प्राथमिक जांच में उपलब्ध रिकॉर्ड, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से पाया गया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक 04.10.2021 को आरोपी श्री लोकेश कुमार कानि. व श्री सरदार सिंह हैड कानि. पुलिस थाना जवाहर सर्किल आयुक्तालय जयपुर के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर गिरफ्तार किया गया था तथा उक्त कार्यवाही पर दिनांक 06.10.2021 को आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण संख्या 381/2021 धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120 बी भादस में दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण का अनुसंधान श्री सुरेश कुमार स्वामी उप अधीक्षक पुलिस, जयपुर नगर तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर द्वारा किया जा रहा था। अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान पूर्ण किया जाकर आरोपी श्री लोकेश कुमार शर्मा कानि. 11121 के विरूद्ध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित मानते हुए न्यायालय में अभियोजन चलाने एवं आरोपी श्री सरदार सिंह हैड कानि. 81 के विरूद्ध अभियोजन हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाये जाने पर प्रकरण से उसका नाम पृथक किये जाने की अनुसंशा सहित तात्विक प्रतिवेदन तैयार कर दिनांक 11.02.2022 को मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रेषित किया गया था। इस सम्बंध में मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से उक्त प्रकरण संख्या 381/2021 की गार्ड पत्रावली प्राप्त की जाकर अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान पूर्ण किया जाकर आरोपी श्री लोकेश कुमार शर्मा के विरूद्ध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित मानते हुए न्यायालय में अभियोजन चलाने एवं आरोपी श्री सरदार सिंह हैड कानि. 81 के विरूद्ध अभियोजन लायक पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाये जाने पर प्रकरण से उसका नाम पृथक किये जाने की अनुसंशा सहित तात्विक प्रतिवेदन तैयार कर दिनांक 11.02.2022 को अपराध शाखा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्रेषित किया गया था, जिस पर अपराध शाखा द्वारा उक्त तात्विक प्रतिवेदन नोटशीट पत्रावली पर दिनांक 14.02.2022 को श्री विष्णुकांत तत्कालीन उप महानिरीक्षक को प्रस्तुत की गई, श्री विष्णुकांत उप महानिरीक्षक द्वारा राय हेतु उप निदेशक अभियोजन को मार्क किया गया। उप निदेशक अभियोजन द्वारा पत्रावली में प्रकरण की ट्रांस्क्रिप्ट प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 02.03.2022 को अपनी टिप्पणी अंकित की गई, जिसमें सरदार सिंह की अपराध में संलिप्तता प्रकट होने व इस सम्बंध में अनुसंधान अधिकारी से विचार विमर्श किया जाकर निर्णय लिए जाने की अनुसंशा की गई। तत्पश्चात पत्रावली श्री विष्णुकांत उप महानिरीक्षक को प्रस्तुत की गई, जिनके द्वारा दिनांक 04.03.2022 को अनुसंधान अधिकारी से बिना विचार-विमर्श किये

ही अनुसंधान अधिकारी की राय से सहमति जताते हुए आरोपी श्री लोकेश शर्मा कानि. के विरूद्ध चालान निर्णय लिया जाकर न्यायालय में चालान पेश करने तथा आरोपी श्री सरदार सिंह हैड कानि. के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नही मानते हुये उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को स्वपूर्ण टिप्पणी भिजवाने की अनुषंशा की गई। जांच से यह पाया गया है कि उक्त प्रकरण संख्या 381/2021 के आरोपी श्री सरदार सिंह का छोटा भाई श्री प्रताप सिंह है, वह भी आयुक्तालय जयपुर यातायात शाखा में कानि. के पद पर कार्यरत है। श्री प्रताप सिंह पूर्व मे पुलिस लाईन जयपुर शहर में पदस्थापित था जहां गनमैन के रूप में श्री विष्णुकांत डीआईजी के पास रहा था। तत्समय श्री विष्णुकांत एसओजी में पदस्थापित थे। एसीबी में उक्त प्रकरण दर्ज होने के पश्चात श्री प्रताप सिंह द्वारा श्री विष्णुकांत उप महानिरीक्षक से मोबाईल पर वार्ता की गई, उक्त वार्ता की रिकॉर्डिंग प्रताप सिंह के बडे भाई व उक्त प्रकरण के आरोपी श्री सरदार सिंह द्वारा जरिये वाट्सएप परिवादी श्री सत्यपाल पारीक को भेजी गई। परिवादी द्वारा डीवीडी में उक्त वार्ता की क्लिप Vishnu Kant dig or Pratap Singh varta के नाम से उपलब्ध करवाई गई है। परिवादी द्वारा परिवाद के साथ पेश की गई डीवीडी में कुल 9 ऑडियो /वीडियो क्लिप्स हैं, जिसमें Vishnu Kant dig or Pratap Singh varta नाम से संधारित ऑडियो क्लिप में श्री विष्णुकांत डीआईजी व श्री प्रताप सिंह के मध्य हुई वार्ता है। क्लिप Record_2022-03-09-09-49-25 व Record_2022-03-09-10-34-28 नाम से संधारित ऑडियो क्लिप में परिवादी श्री सत्यपाल पारीक व श्री सरदार सिंह के मध्य वार्ता है। 20220315030627_1 नाम से संधारित क्लिप में परिवादी श्री सत्यपाल पारीक, श्री सरदार सिंह, श्री प्रताप सिंह, श्री रवि कुमार नामा के मध्य वार्ता की वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें उक्त लोग एक गाडी में बैठे हुए हैं। क्लिप Record_2022-05-14-20-23-43 व Record_2022-08-24-16-15-53 एवं sardar Singh 1 में परिवादी श्री सत्यपाल पारीक व श्री सरदार सिंह के मध्य वार्ताऐं हैं। क्लिप Standard recording 6 में केवल सरदार सिंह की आवाज है तथा वाईस क्लिप रिश्वत_वार्ता_d_I_g_विष्णुकांत_और_सरदार_सिंह के नाम से संधारित क्लिप में श्री विष्णुकांत डीआईजी, श्री सरदार सिंह व श्री प्रताप सिंह के मध्य वार्ता है। श्री सरदार सिंह, श्री प्रताप सिंह व परिवादी श्री सत्यपाल पारीक के मध्य हुई वार्ताओं सम्बंधी ट्रांसक्रिप्ट्स के अवलोकन से पाया गया कि उक्त वार्ताओं में श्री सरदार सिंह व श्री प्रताप सिंह द्वारा प्रकरण संख्या 381/2021 से आरोपी श्री सरदार सिंह का नाम निकलवाने के लिए श्री विष्णुकातं डीआईजी से सम्पर्क किया गया। विभिन्न ट्रांस्क्रिप्ट वार्ताओं में श्री विष्णुकातं डीआईजी द्वारा महानिदेशक के नाम पर 10 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग किये जाने व मांग के अनुसरण में उनके द्वारा 9.5 लाख रूपये रिश्वत राशि दिये जाने के तथ्य श्री सरदार सिंह व श्री प्रताप सिंह द्वारा परिवादी श्री सत्यपाल पारीक को बताये गये हैं तथा इसकी पुष्टि श्री विष्णुकांत उप महानिरीक्षक, श्री सरदार सिंह व श्री प्रताप सिंह के मध्य हुई वार्ता (रिश्वत_वार्ता_d_I_g_ विष्णुकांत_और_सरदार_सिंह) से होती हैं, जिसमें 9.5 लाख रुपये की रिश्वत राशि लेन-देन के तथ्य उजागर हुये हैं, जिसमें श्री सरदार सिह व श्री विष्णु कांत के मध्य हुई वार्ता में श्री सरदार सिंह द्वारा ढाई लाख रुपये देने व सात पहले दे दिये जाने इस प्रकार कुल साढे नौ लाख रुपये श्री विष्णुकांत के पास पहुँच जाने संबंधी वार्ता हैं। अतः समस्त जांच से श्री सरदार सिंह हैड कानि. 81 व उसके भाई श्री प्रताप सिंह कानि. 9855 यातायात पुलिस आयुक्तालय जयपुर द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज प्रकरण संख्या 381/2021 से आरोपी श्री सरदार सिंह का नाम निकलवाने के लिए श्री विष्णुकातं तत्कालीन उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर से सम्पर्क किये जाने, श्री विष्णुकातं डीआईजी द्वारा श्री सरदार सिंह व श्री प्रताप सिंह से प्रकरण के सम्बंध में चर्चा करने तथा उक्त प्रकरण की मुख्यालय स्तर की कार्यालय पत्रावली/गार्ड पत्रावली के तथ्य उन्हें बताने तथा श्री सरदार सिंह का नाम प्रकरण से निकलवाने की एवज में 9.5 लाख रूपये रिश्वत राशि के लेन-देन सम्बंधी तथ्य उजागर हुए हैं। अतः आरोपियों का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 8, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत प्रथम दृष्ट्या पाये जाने पर आरोपी 1. श्री विष्णुकांत तत्कालीन उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर हाल महानिरीक्षक पुलिस, गृह रक्षा राजस्थान जयपुर, 2. श्री सरदार सिंह हैड कानि. 81 यातायात पुलिस आयुक्तालय जयपुर एवं 3. श्री प्रताप सिंह कानि. 9855 यातायात पुलिस आयुक्तालय जयपुर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है। (ललित किशोर शर्मा) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर.....कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ललित किशोर शर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक पुलिस, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग(S.I.W.), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,8,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1-श्री विष्णुकांत, तत्कालीन उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर हाल महानिरीक्षक पुलिस गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर, 2- श्री सरदार सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, निवासी ग्राम नंगला देसवाल पोस्ट जाटोलीथून पुलिस थाना जनूथर जिला डीग हाल हैड कानि.81, यातायात पुलिस आयुक्तालय जयपुर 3- श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, निवासी ग्राम नंगला देसवाल पोस्ट जाटोलीथून पुलिस थाना जनूथर जिला डीग, हाल कानि. नम्बर 9855, यातायात, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री सुनिल सियाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचा आम रपट 09 पर अंकित है।

(विशनाराम) पुलिस निरीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 324-29 दिनांक 01.05.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1 जयपुर। 2. शासन उप सचिव कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. उपायुक्त-मुख्यालय, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर। 4. उप महानिरीक्षक पुलिस–मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । 5. अति. पुलिस अधीक्षक पुलिस, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग (S.I.W.), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । 6. श्री सुनिल सियाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण पुलिस निरीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** sunil sihag **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/05/2024 18:53:57

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1977				
2	Male	1975				
3	Male	1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)